



माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ०प्र०, पिन-247120)

Website- msuniversity.ac.in

Email ID - registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 309 / एके० / MSU / 2024-25

दिनांक: 24-5-24

सेवा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य / प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

विषय - महाविद्यालय में नियुक्त शिक्षक, प्राचार्य, प्रबन्ध समिति एवं अन्य विवरण प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 की प्रवेश प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ की जानी है। संज्ञान में आया है कि महाविद्यालयों द्वारा विषय-विशेषज्ञ नामित करा लिये जा रहे हैं, किन्तु उनके द्वारा शिक्षकों का अनुमोदन नहीं कराया जा रहा है। साथ ही महाविद्यालयों में प्रबन्ध समिति भी कालबाधित हो चुकी है। विश्वविद्यालय परिनियम की धारा 13.22 के अनुसार महाविद्यालयों का यह दायित्व है कि सत्र प्रारम्भ से पूर्व महाविद्यालयों द्वारा इस आशय का वचनबद्धता दी जायेगी कि महाविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में मानकानुसार अनुमोदित शिक्षक, प्राचार्य, अनुमोदित प्रबन्ध समिति एवं अन्य मानक पूर्ण है।


इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विश्वविद्यालय परिनियम की धारा 13.22 के आलोक में महाविद्यालय में नियुक्त अनुमोदित प्राचार्य, शिक्षकों का अनुमोदन पत्र, अनुमोदित प्रबन्ध समिति का पत्र, प्राचार्य / शिक्षकों का बैंक स्टेटमेन्ट, अग्निशमन प्रमाण-पत्र, AISHE प्रमाण-पत्र एवं ABACUS-UP पोर्टल पर पंजीकरण का विवरण इत्यादि विश्वविद्यालय में 07 कार्य दिवस में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिन महाविद्यालयों द्वारा उक्त विवरण विश्वविद्यालय में प्रेषित नहीं किया जायेगा उन महाविद्यालयों के सत्र 2024-25 से प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय का होगा।

भवदीय


कुलसचिव

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01. कुलपति कार्यालय को मा० कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।


उपकुलसचिव